प्रवेश और फीस नियमन समिति उत्तर प्रदेष
प्राविधिक षिक्षा विभाग
संख्या– 64 /प्र0फी0नि0स0/2018
लखनऊ दिनांक 19 जून, 2018

कार्यालय आदेश

उत्तर प्रदेश निजी प्राविधिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) विनियमावली–2015 अधिनियम 2006 की धारा–14 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके अधिसूचना संख्या–4781/सोलह–1–14(34)/2014 दिनांक 22.12.2015 द्वारा निर्गत की गयी है।

2. विनियमावली–2015 में दी गई व्यवस्था के अनुसार प्राविधिक षिक्षा विभाग के अधीन संचालित निजी क्षेत्र की डिग्री/डिप्लोमा स्तरीय अभियन्त्रण एवं व्यावसायिक संस्थाओं में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु शैक्षिक सत्र 2018–19, 2019–20 एवं 2020–21 के लिए मानक शुल्क निर्धारित किया जाना है। प्रर्वेश और फीस नियमन समिति द्वारा निम्नवत् मानक शुल्क निर्धारित किया जाता हैः–

(क) <u>निजी क्षेत्र की डिग्री स्तरीय अभियन्त्रण एवं व्यावसायिक संस्थाओं हेतुः–</u>

क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	निर्धारित मानक शुल्क (रूपये में) 2018–19, 2019–20 एवं 2020–21
01	बी0टेक0	55000.00
02	बी0फार्मा0	63300.00
03	बी0आर्क	57730.00
04	बी0एफ0ए0	85250.00
05	बी0एफ0ए0डी0	85250.00
06	बी0एच0एम0सी0टी0	70000.00
07	एम0बी0ए0	59700.00
08	एम0सी0ए0	55000.00
09	एम0फार्मा0	68750.00
10	एम0आर्की0	57500.00
11	एम0टेक0	57500.00

Sonkar 18 manak shulk aadesh

(ख) निजी क्षेत्र की डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी संस्थाओं में चल रहे पाठ्यक्रमों का शुल्क–

➢ निजी क्षेत्र की डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी संस्थाओं में तीन वर्षीय सभी पाठ्यकम एवं फार्मेसी पाठ्यकम का शुल्क–

क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	निर्धारित मानक शुल्क (रूपये में) 2018–19, 2019–20 एवं 2020–21
01	डिप्लोमा एण्ड इंजीनियरिंग	30150.00
02	डी0फार्मा0	45000.00
03	डी0आर्की0	30250.00
04	डी0एच0एम0सी0टी0	31300.00

➢ निजी क्षेत्र की डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी संस्थाओं में दो (डी0 फार्मा को छोड़कर) एवं एक वर्षीय सभी पाठ्यक्रमों का शुल्क–

क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	निर्धारित मानक शुल्क (रूपये में) 2018–19, 2019–20 एवं 2020–21
01	दो एवं एक वर्षीय सभी पाठ्यक्रमों का शुल्क (डी0फार्मा के अतिरिक्त)	रू0 22500.00

➢ सहायता प्राप्त डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी संस्थाओं में चल रहे पाठ्यक्रमों का शुल्क–

क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	निर्धारित मानक शुल्क (रूपये में) 2018–19, 2019–20 एवं 2020–21
01	समस्त पाठ्यक्रमों हेतु	रू0 19000.00

3. जो संस्थायें उपरोक्त निर्धारित मानक फीस को स्वीकार्य करना चाहती हैं वे समिति की बेवसाइट **www.afrcup2018.in** पर अपना ऑन लाईन आवेदन/स्वीकृति पत्र निर्धारित प्रारूप पर मानक शुल्क आदेश निर्गत तिथि से विलम्बतम् 30 दिन के अन्दर उपलब्ध करायेगी।

4. ऐसी संस्थाये जो उक्त निर्धारित मानक शुल्क से भिन्न शुल्क निर्धारित करवाना चाहती है, वे उत्तर प्रदेश निजी प्राविधिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) विनियमावली–2015 विनियम–4 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार मानक शुल्क आदेश निर्गत तिथि से विलम्बतम् 30 दिन के अन्दर अपना औचित्यपूर्ण प्रस्ताव/लेखा–विवरण एवं

अन्य सुसंगत अभिलेखों सहित बेवसाइट **www.afrcup2018.in** पर प्रस्तुत करते हुए उसकी एक प्रति समिति कार्यालय (सचिव, प्रवेश और फीस नियमन समिति बासमण्डी चौराहा, चारबाग, लखनऊ) को उपलब्ध करायें।

5. समस्त डिग्री/डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि मानक शुल्क से सहमति अथवा असहमति की स्थिति में संस्थानों को अपना विकल्प आवेदन के माध्यम से देना अनिवार्य होगा, चाहे वे मानक शुल्क से सहमत हो अथवा नहीं। जिन संस्थाओं द्वारा मानक शुल्क स्वीकार करते हुए अपने सहमति उपलब्ध करा दी जायेगी, उनके मानक शुल्क आदेश सहमति प्राप्ति के 03 दिन के अन्दर निर्गत कर दिये जायेंगे तथा ऐसे संस्थान जो न तो मानक शुंल्क की सहमति प्रदान की है और न ही मानक शुल्क से इतर शुल्क निर्धारण हेतु 30 दिन के अन्दर प्रत्यावेदन दिया है, उन संस्थानों के सम्बन्ध में यह मान लिया जायेगा कि उन्हें समिति द्वारा निर्धारित मानक शुल्क स्वीकार्य है तथा उन संस्थानों हेतु भी 30 दिन उपरान्त मानक शुल्क के आदेश निर्गत कर दिये जायेंगे।

Khan
एफ0आर0 खान
सचिव

<u>संख्या एवं दिनांक तदैवः–</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) निदेषक/प्राचार्य, उ0प्र0 में संचालित निजी क्षेत्र की डिग्री एवं डिप्लोमा स्तरीय समस्त अभियन्त्रण एवं व्यवसायिक संस्थान।
(2) कुलसचिव, डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कमाल प्राविधिक, विश्वविद्यालय उ0प्र0 लखनऊ।
(3) उपसचिव, प्राविधिक शिक्षा अनुभाग–1, उ0प्र0 शासन।
(4) प्रमुख सचिव, सचिव, समाज कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग विभाग एवं अल्प संख्यक विभाग।
(5) समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
(6) गार्ड फाइल।

आज्ञा से
Khan
(एफ0आर0 खान)
सचिव